प्रेस नोट–

थाना कोतवाली, जनपद झाँसी

दिनांक – 02.04.2026

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही.**
- **थाना कोतवाली पुलिस द्वारा जीएसटी चोरी कर सरकारी राजस्व को कुल 6.27 करोड़ रू0 की क्षति पहुँचाने संबंधी अभियोग में अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बी.बी.जी.टी.एस. मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 29.03.2026 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 395/25 धारा 319(2)/318(4)/336(3)/338/340(2)/61(2) बीएनएस अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त पियुष शान्तिलाल वीरा पुत्र शान्तिलाल गांग्जी वीरा नि० ए-102 शिवप्रसाद बिल्डिग गोविन्द भगवती काम्पलेक्स थाना तुलिज जनपद पालघर महाराष्ट्र को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर ट्राजिंट रिमाण्ड लेकर जिला कारागार झाँसी में निरुद्ध कराया गया।

<u>संक्षिप्त विवरण</u>- उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.12.25 को वादी मुकदमा श्री देवेन्द्र पटेल वरिष्ठ सहायक वि०अनु०शा० राज्यकर झांसी के द्वारा थाना कोतवाली जनपद झांसी पर तहरीर दी कि अस्तित्व हीन फर्म काजल इन्टरप्राईजेज के द्वारा बिना कोई व्यापार किये जीएसटी पोर्टल पर दाखिल रिटर्टनो में बोगस रुप से आईटीसी का लाभ लिया गया तथा अग्रेत्तर बोगस रुप से आईटीसी पास ऑन करते हुये राजस्वर क्षति की गयी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 395/25 धारा 318 (4) बीएनएस बनाम अस्तित्व हीन फर्म काजल इन्टरप्राईजेज फर्म स्वामिनी काजल के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था दौराने

विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे धारा 319(2)/336(3)/338/340(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी थी। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही मे अभियुक्त पियुष शान्तिलाल वीरा पुत्र शान्तिलाल गांग्जी वीरा नि0 ए-102 शिवप्रसाद बिल्डिग गोविन्द भगवती काम्पलेक्स थाना तुलिज जनपद पालघर महाराष्ट्र का नाम प्रकाश मे आया, जिसको गिरफ्तार किया तथा मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं का समावेश करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार झाँसी में निरूद्ध कराया गया।

पछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया कि अपने सह अभियुक्त के साथ कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर फर्जी अस्तित्वहीन फर्म बनायी थी। जिसके आधार पर वास्तविक व्यापार न होते हुए भी भारी धनराशि का काल्पनिक लेने देन दर्शाया गया तथा उसी के आधार पर फर्जी इंवाइस बिल तैयार किए। इसके माध्यम से उन्होनें बड़ी माता Input Tax Credit (ITC) का अवैध लाभ प्राप्त किया। अभियुक्त द्वारा वास्तविक व्यापार दर्शाने हेतु परिवहन संबंधी वैधता दर्शाने के फर्जी एव भ्रामक बिल तैयार किए। अभियुक्त द्वारा बताया कि सर्कुलर ट्रेडिग के माध्यम से विभिन्न कंपनियो के मध्य केवल कागजी लेन देन कर टैक्स चोरी एव लाभ अर्जित किया गया। अभियुक्त द्वारा किए गए इस समस्त कृत्य से सरकारी राजस्व को कुल 6,27,32,684/- (छह करोड़ सत्ताईस लाख बत्तीस हजार छह सौ चौरासी रूपये) की भारी क्षति पहुँचाई गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

पियुष शान्तिलाल वीरा पुत्र शान्तिलाल गांग्जी वीरा नि० ए-102 शिवप्रसाद बिल्डिग गोविन्द भगवती काम्पलेक्स थाना तुलिज जनपद पालघर महाराष्ट्र

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम

01. उ0नि0 अमित तोमर थाना कोतवाली जनपद झांसी
02. का0 989 आलोक सिंह थाना कोतवाली जनपद झांसी
03. म0का0 1934 प्रिति थाना कोतवाली जनपद झाँसी